राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2011-12

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का गठन एवं उद्देश्य

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बजट वर्ष 2010–11 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा **"राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड"** के गठन करने की घोषणा की गई।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निगम की स्थापना एंव उसके प्रशासनिक ढांचे, कार्य, उद्देश्य आदि के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे जिसके अनुसार नवगठित राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा :–

1. निगम, भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।
2. राज्य में उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पीडीएस सामग्री बड़े निर्माताओं (Manufactures) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। वर्ष 2011–12 में प्रथम चरण में आयोडाईज्ड वाश नमक एवं चाय को न्यूनतम मूल्य पर उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध कराएगा।
3. चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहां केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नहीं है वहां राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा लेकिन जहां पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा वहां निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।
4. निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करेगा।
5. बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य तेल, चीनी आदि के दाम बढ़ने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।
6. राज्य की बजट अधिघोषणा वर्ष 2011–12 के अनुसार निगम सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से फोर्टीफाईड आटा आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएगा।
7. उपभोक्ता संरक्षण एंव उपभोक्ता हितों के लिए जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार संबंधी गतिविधियां समय–समय पर संचालित करने हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही करना।
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कम्प्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम/डायवर्जन को रोकने के लिए जीपीएस तकनीक का प्रयोग एवं स्पेशल विजिलेंस स्क्वायड आदि से सम्बन्धित कार्य भी संपादित करेगा।

निगम की कार्य प्रगति

1. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई।
2. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है।
3. निगम के संचालक मण्डल की प्रथम बैठक दिनांक 22.12.2010, द्वितीय बैठक 01.03.2011 एवं तृतीय बैठक दिनांक 26.08.2011 को हुई जिसमें निगम के सुचारू रूप से कार्य करने के संबंध में यथोचित निर्णय किये गये।
4. रजिस्ट्रार कम्पनीज, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।
5. प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा निगम की प्रदत्त पूंजी रूपये 50.00 करोड़ की जारी स्वीकृतियों के क्रम में कोषाधिकारी, कोष कार्यालय द्वारा दिनांक 21.01.2011 को रूपये 10.00 करोड़ एवं दिनांक 31.03.2011 को रूपये 40.00 करोड़ निगम के ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में जमा किये। इस प्रकार निगम को राज्य सरकार के अंशदान के रूप में निर्धारित प्रदत्त पूंजी रूपये 50.00 करोड़ मार्च, 2011 तक प्राप्त हो चुके है।
6. निगम द्वारा जिला स्तर पर कार्य संचालन हेतु जिला प्रबन्धकों के पद पर एमबीए (मार्केटिंग) योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियमित नियुक्ति करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त संचालक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान नोलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) के सहयोग से जिला प्रबन्धकों के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 18.12.2011 को आयोजित की जाकर परिणाम दिनांक 26.12.2011 को जारी कर दिनांक 10.01.2012 को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया। निगम का तहसील स्तर पर कार्यालय स्थापित न होने के कारण समस्त जिलों में पूर्व में तहसील स्तर पर कार्यरत थोक विक्रेता अर्थात् क्रय–विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय सहकारी विकास संघ लि. से ही खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण कार्य करवाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारियों को ही निगम के जिला प्रबन्धकों के पद का अतिरिक्त कार्य के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है।
2. राज्य सरकार के निर्णयानुसार एपीएल श्रेणी का आवंटित गेहूं तथा बीपीएल श्रेणी में से 10–20 किलो तक के गेहूं का फोर्टिफाईड आटा तैयार कर वितरण कराने के सम्बन्ध में

निर्देश प्राप्त हुए है। खाद्य विभाग द्वारा खुली निविदा जारी कर सम्भागीय मुख्यालय एवं 4 जिलों (बाड़मेर, चुरू, भीलवाड़ा एवं नागौर) में फोर्टिफाईड आटा तैयार कर वितरण किए जाने हेतु निविदाएं आंमत्रित कर आदेश दिए गए, निगम द्वारा वितरण कार्य किया जा रहा है। निगम द्वारा कोटा संभाग मुख्यालय की नगरीय सीमा तथा शेष रहे 22 जिलों एवं जयपुर, जोधपुर ग्रामीण को शामिल करते हुए कुल 24 जिलों में फोर्टीफाईड आटे की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई। मई, 2011 में कोटा के लिए तथा जून, 2011 में 24 जिलों के लिए रोलर फ्लोर मिलों का अनुमोदन करते हुए कार्यादेश जारी किये गये है।

3. वर्तमान में निगम द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में एपीएल श्रेणी का आवंटित गेहूं तथा बीपीएल श्रेणी में से 10–20 किलो तक के गेहूं का फोर्टिफाईड आटा तैयार कर वितरण करने हेतु दिनांक 15.11.2011 तक खुली निविदाएं आमंत्रित की गई है। प्राप्त निविदाओं को अंतिम रूप देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

गैर–सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1. गैर पीडीएस वस्तुओं के उत्पादनकर्ता/निर्माताओं एवं थोक विक्रेताओं से प्रथम चरण में आयोडीनयुक्त वाश नमक, चाय एवं साबुन को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु आवश्यक निविदा जारी की गई। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम मूल्य पर चाय एवं आयोडाईज़ वाश नमक आपूर्ति करने वाली कम्पनी/फर्मो को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिए गए तथा अगस्त, 2011 से निगम की ब्राण्ड (राज ब्राण्ड) चाय एवं नमक का वितरण उपभोक्ताओं को प्रारम्भ किया गया है।

2. वर्तमान में गैर पीडीएस मदों में यथा– कपड़े धोने का साबुन, पिसे हुए पैक्ड मसाले (हल्दी, मिर्ची एवं धनिया), दालें (चना एवं मूंग) फ्री फ्लो आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तेल (तिल्ली, सरसों एवं मूंगफली) आदि की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने के लिये आपूर्ति हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

खाद्यान्न परिवहन

1. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निगम द्वारा खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें जारी की गई। 10 जिलों हेतु निविदायें प्राप्त हुई जिनमें से 8 जिलों में सफल परिवहनकर्ता पाये गये इनमें से बीकानेर, धौलपुर तथा उदयपुर में माह सितम्बर, 2011 से परिवहन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। बासंवाड़ा, जयपुर, करौली, अलवर एवं कोटा जिले के परिवहनकर्ता को कार्यादेश जारी कर अनुबन्ध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष जिलों के लिए पुनः निविदा जारी किए जाने की कार्यवाही की जा रही है तब तक वर्तमान में कार्यरत् थोक विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न परिवहन कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है।

निगम की अन्य गतिविधियां

1. निगम के तहसील मुख्यालय जहां भण्डार व्यवस्था निगम के गोदाम उपलब्ध नहीं है, पर निरीक्षक/सुपरवाईजर के पदों पर संविदा के आधार पर आर्मी सप्लाई कौर के भूतपूर्व सैनिकों को नियोजित कर तहसील स्तर पर 59 निरीक्षक/सुपरवाईजर की नियुक्ति की कार्यवाही की गई।
2. निगम द्वारा यूनिसेफ प्रतिनिधि के रूप में आयोडाईज्ड वाश नमक के वितरण के लिए विषय विशेषज्ञ की सेवाऐं सलाहकार के रूप में यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित की गई है।
3. निगम के मुख्यालय हेतु स्वयं का भवन न होने के कारण एवं भवन हेतु भूमि आवंटन न होने के कारण तथा संचालक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मुख्यालय के लिए कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान जयपुर से लाल कोठी स्थित किसान भवन में पांचवी मंजिल पर रिक्त स्थान को मासिक किराये पर लेकर निगम का मुख्यालय स्थापित किया गया है।

खाद्यान्न एवं आटा परिवहन तथा आपूर्ति के संबंध में निगम द्वारा मॉनिटरिंग हेतु किये गये प्रयास –

1. निगम द्वारा राज्य में खाद्यान्नों के उठाव हेतु कार्यरत क्रय–विक्रय सहकारी समितियां, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार तथा राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय सहकारी विकास संघ लिमिटेड (थोक विक्रेताओं को) भारतीय खाद्य निगम गोदामों से खाद्यान्नों का उठाव कर उचित मूल्य दुकानों तक आपूर्ति हेतु परिपत्र दिनांक 18.01.2011 को जारी किया गया है।
2. द्वितीय चरण में राज्य के सभी जिलों में खाद्यान्न उठाव एवं खाद्यान्न तथा आटा आपूर्ति हेतु पुनः दिनांक 31.05.2011 को निर्देश जारी किये गये हैं।

वास्तविक आय व्यय एवं संशोधित प्रावधान

वर्ष 2009–10, 2010–11 के वास्तविक व्यय एवं वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के बजट प्रावधानों का विवरण **परिशिष्ट– "4"** पर एवं विभाग का प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ट– "5"** पर अंकित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के सभी शासन उप सचिव एवं उपायुक्त, सहायक खाद्य आयुक्त, मुख्य लेखाधिकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त (द्वितीय) को नोडल अधिकारी तथा सभी जिला रसद अधिकारियों को अपने–जिलों के लिए राज्य जन सूचना अधिकारी और सभी उपखण्ड अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्र के लिये राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी तथा खाद्य आयुक्त को प्रथम अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अनु0 (बी) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर विभागीय मैन्यूअल प्रकाशित किया जा चुका है। इस मैन्यूअल की प्रति विभाग मुख्यालय पर सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। इसकी प्रति सभी जिला रसद अधिकारियों और उपखण्ड अधिकारियों के कार्यालयों को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ विभागीय पत्र दिनांक 13.10.2005 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना–पत्रों का निर्धारित अवधि में अथवा इससे पूर्व निस्तारण किया जाता है।